

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./राम०/2023/591  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा मे,

प्रबन्धक,  
श्री रणजीत सिंह कालेज ऑफ एजूकेशन विधि,  
रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री रणजीत सिंह कालेज ऑफ एजूकेशन विधि, रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपौष्टि योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में) दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

- संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/653

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बाबा बैजनाथ जी लॉ कालेज,  
गोधपुर किशनदासपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बाबा बैजनाथ जी लॉ कालेज, गोधपुर किशनदासपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैं:-

- संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या-51859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, बार काउन्सिल 3०फ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सम्ब0/2023/624  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सेण्ट जेवियर्स लॉ कालेज,  
मेहनाजपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सेण्ट जेवियर्स लॉ कालेज, मेहनाजपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल.एल.बी.0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा एवं अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब०/2023/650

दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
पं० कन्हैया लाल मिश्र विधि महाविद्यालय,  
झुमरी, मर्यादपुर, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में पं० कन्हैया लाल मिश्र विधि महाविद्यालय, झुमरी, मर्यादपुर, मऊ को स्ववित्तप्रैषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संरक्षित के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

- संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा एवं अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, बार काउन्सिल ॲफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब/2023/649

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री कै०एन० सिंह विधि महाविद्यालय,  
जीयनपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 रान् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपरबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री कै०एन० सिंह विधि महाविद्यालय, जीयनपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रियत योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

- संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगां कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, बार काउन्सिल आ०फ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/645

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
त्रिलोकी सिंह विधि महाविद्यालय,  
रतुआपार, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में त्रिलोकी सिंह विधि महाविद्यालय, रतुआपार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होती है। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा ए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राऊज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मार्क कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सम्ब0/2023/644  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
ग्राम समाज विधि महाविद्यालय,  
जयस्थली, बाबू की खजुरी, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में ग्राम समाज विधि महाविद्यालय, जयस्थली, बाबू की खजुरी, आजमगढ़ को स्वित्तपोषित योजनानार्त्तर्त स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. संस्था द्वारा काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं वार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संरथा को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, वार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को माठ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/614

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
जयनाथ मेमोरियल लॉ कॉलेज,  
हररामपुर, लालगंज, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगरत 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में जयनाथ मेमोरियल लॉ कॉलेज, हररामपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष रवीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. संस्था बार काउंसिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही हैं। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कार्यों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा एवं अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, बार काउंसिल आफ इण्डिया, 21 राऊज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.पि. / सम्ब०/2023/613  
दिनांक: 28.06.2023



सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री दुर्गा जी लॉ कॉलेज,  
क्यामपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुष्टिमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री दुर्गा जी लॉ कॉलेज, क्यामपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा एवं अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट यादिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, बार काउन्सिल ॲफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मारो कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।

पत्रांक: महा.सु.वि.पि. / सम्ब०/2023/612

दिनांक: 28.06.2023



सेवा में,

प्रबन्धक,  
बी०बी० राय मेमोरियल विधि महाविद्यालय,  
खोरमपुर, बैलऊ, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बी०बी० राय मेमोरियल विधि महाविद्यालय, खोरमपुर, बैलऊ, आजमगढ़ को स्ववित्तपेपित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल०एल०बी० त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. संस्था बार काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात ही विद्यार्थियों का प्रवेश लेगी एवं कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगी कि सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रही है। संस्था द्वारा कक्षायें पृथक भवन में चलायी जानी अपेक्षित होगी। संस्था उपरोक्त अवधि में नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन एवं प्राचार्य तथा प्रवक्ताओं का अनुमोदन पत्र संविदा पत्र, नियुक्ति पत्र से सम्बन्धित सभी कानियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगाए अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
3. शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
4. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
9. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
10. उक्त सम्बद्धता, परीक्षाशुल्क, प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
11. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं वार काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो विश्वविद्यालय अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. सचिव, वार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, कुलपति को मार्क कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



प्राचीनकालीन भाषा विज्ञान / सम्बोधन / 2023 / 603

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
बाबू कामता सिंह महाविद्यालय,  
लफिया, लालगंज, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

१८८

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने तो नहीं।  
महाविद्यालय तीन माह में धूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इन विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था /महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/ नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।  
महाविद्यालय की प्राचार्य धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष अ. I.S.H.F का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातिकालिक:-** निजी, कूलपति, कूलपति को माता कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

  - निजी सचिव, कूलपति को माता कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कलसचिव

१८८

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/642  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
आजमगढ़ महिला महाविद्यालय,  
सुदनपुर, गौरापट्टी, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में आजमगढ़ महिला महाविद्यालय, सुदनपुर, गौरापट्टी, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./ सम्ब0/2023/619  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अनुपमा राय मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन,  
हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में अनुपमा राय मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन, हरईरामपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित तथा वाणिज्य संकाय में बी0कॉम० विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव



Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि. / सम्ब0 / 2023 / 656

दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
बाबा बैजनाथ जी महाविद्यालय,  
गोधपुर, किशननदासपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिए सामना में।

सहोद्रा

महादय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय अधिनियम 2014 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के क्रम में बाबा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपरब्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बाबा बैजनाथ जी महाविद्यालय, गोधपुर, किशननादासपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में अतिरिक्त विषय माइक्रोबायलोजी एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ड्राइंग एण्ड पेंटिंग (ललित कला), अर्थशास्त्र, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

- प्रदान कर दी गया है:-

  1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कामयों का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. एन0ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

१८

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 632  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
श्री बद्री प्रसाद महाविद्यालय,  
आरिफपुर, आजमगढ़।

जिसमें भी विद्युत का उपयोग हो तो उसके लिए इन सभी विधियों में से अवैधता प्राप्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

## विषय-

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम श्री बड़ी गणीय विधायिका सभा के अधीन संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, प्रसाद महाविद्यालय, आरिफपुर, आजमगढ़ को ख्ववितपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कूलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है-

- गयी है:-

  - महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष प्रतिबन्धित रहेगा।
  - A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

## भवदीय

कृलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/652  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
चौरी बेलहा महाविद्यालय,  
तरवाँ, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान/ वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरुणुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम चौरी बेलहा महाविद्यालय, तरवाँ, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रेरित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान व विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य संकाय में बी0कॉम0 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्णत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

/  
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को माओ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक महा सु वि वि / सम्ब० / 2023 / 609  
दिनांक 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
भगवान आदर्श महाविद्यालय,  
चक्रपाणिपुर, कनैला, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु, के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वनुस्मिति दिये जाने के उपरन्थ को समाप्त कर दिया है, के क्रम में भगवान आदर्श महाविद्यालय, चक्रपाणिपुर, कनैला, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में एमोकॉमो विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिवद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 / 70—2—2005—2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 / 70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2—2013—2(650) / 2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 / 2015 / 450 / सत्तर—2015—16(33) / 2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 / सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की रिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 611  
दिनांक: २९.०६.२०२३

सेवा में,  
प्रबन्धक,  
ग्राम समाज महाविद्यालय,  
जयस्थली, बाठू की खजरी, आजमगढ़।

विषय— सदाचिदानन्द को स्वारक स्वर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

४८५

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) /सत्र-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में ग्राम खजूरी, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनानात्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में स्थायन समाज महाविद्यालय, जयस्थली, बाबू की खजूरी, आजमगढ़ के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

- अधिन अस्थाया सम्बद्धता का तह परामूखता प्रयोग करना चाहिए।

  1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कानूनों का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 / सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालाम-** निजा पर सूची पर इन दोनों विषयों के बारे में जानकारी है।

  1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

१८

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/626  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर व्यवसायिक संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर व्यवसायिक संकाय में बी०वी०ए० तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत— अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन०ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीप

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।



Scanned with OKEN Scanner

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सम्ब0/2023/610  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
माँ हरिदासी स्मारक महिला महाविद्यालय,  
छित्तेपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में माँ 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में माँ हरिदासी स्मारक महिला महाविद्यालय, छित्तेपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के अधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
7. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आई.एस.ही. का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, कुलपति को. मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/597

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
भोला भगौती डिग्री कालेज,  
द्वारिकापुर, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संस्थाधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरुनुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में भोला भगौती डिग्री कालेज, द्वारिकापुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संरक्षित के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को माओ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/588  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
हरि ऊँ महाविद्यालय,  
अतरैठ, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में हरि ऊँ महाविद्यालय, अतरैठ, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी सहित्य, संस्कृत विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- एन0300सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

188  
कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब०/2023/508  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,  
प्रबन्धक,  
हरि ऊँ महाविद्यालय,  
आतरैठ. आजमगढ़।

— यह संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

## विषय-

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में सचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में हरि ऊँ

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हानि से सम्बन्धित सभी कारणों  
महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रदेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
  - उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष महाविद्यालय का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एनओसी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय  
कलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालप-** निम्न पांच रूपानि हैं—

  1. निजी सचिव, कुलपति को मातृ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कृलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।"



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/643

दिनांक: २४.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
इन्दू महिला महाविद्यालय,  
पुष्टनगर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में इन्दू 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में इन्दू महिला महाविद्यालय, पुष्टनगर, आजमगढ़ में स्वतितपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षास्त्र, हिन्दी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, उर्दू राजनीतिशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की भूगोल, समाजशास्त्र, उर्दू राजनीतिशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तौन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में परित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/636  
दिनांक: १०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
जे.पी.आर. गल्स डिग्री कालेज,  
सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में जे.पी.आर. गल्स डिग्री कालेज, सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में भूगोल, गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय में प्राणि विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:—


1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन.ओ.सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

/  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को मारो कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/649  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री के०एन० सिंह विधि महाविद्यालय,  
जीयनपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय में एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय) के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की घासा संविधान अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घासा (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अरिनशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष

A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

ਪ੍ਰਾਪਤ

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय  
आजमगढ़।



प्रार्थकः महा स.वि.वि / सम्ब० / 2023 / 640

दिनांक: 28-06-2023

सोवा में

प्रबन्धक  
जगपति<sup>४</sup> महिला महाविद्यालय,  
अमारी, गोपालपुर, मेहनगर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर रत्न पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
समीक्षा

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हानि से संबंधित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं उस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संख्या विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था /महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/ नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बंधित समरत सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परासनातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय ७: माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धन रहेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- प्रातालाप-५** निम्न परं पूर्व तथा उत्तर शब्दों का अर्थ बताओ।

  - निजी सचिव, कुलपति को मारो कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय

कालसचिव

१८

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कर्त्तव्यसंग्रह

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय  
आजमगढ़।



प्रांक: महा संविवि / सम्बो / 2023 / 637

दिनांक: १८.०६.२०२३

सेवा में

पहाड़क

श्री कमलनाथ सिंह महाविद्यालय,  
बरोही, फत्तेहपुर, आजमगढ़।

**विषय-** स्वाविद्यालय को स्वातंत्र्य देने पर विद्यार्थी संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

ਪੰਥ-  
ਸਾਹਮਣਾ

- अधिन अन्यथा सम्बद्धता का सहप स्पष्टपूर्ण प्रदान कर दो। या ह-

  1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पंत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A I S H F. का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कलासंचित

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मारा कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.पि.पि. / सम्ब0/2023/1651  
दिनांक: १८.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
महादेव रामसोच कृषक महाविद्यालय,  
सिपाह इब्राहिमाबाद, मऊ।

**विषय— महाविद्यालय को स्नातक रस्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर रस्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के प्रत्यक्ष के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम महादेव

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभा कामया का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरत्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एन0ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

**पत्रिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रारंभालयः** निम्न पाठ्यक्रम का उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जून १९५४ को घोषित किया गया था।

  1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय

कलसचिव

4

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/620

दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
क्रान्ती महिला महाविद्यालय,  
बैरमपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) /सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुसंति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में क्रान्ती महिला महाविद्यालय, बैरमपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 /2015 /450 /सत्तर—2015-16(33) /2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन03040सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

1/8

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

**प्रेषक,**  
कृलसचिव,  
महाराजा सुहैल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: पाता अ.वि.वि. / सम्बो / 2023 / 600

दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,  
प्रबन्धक,  
मॉ बुद्धा नेशनल महाविद्यालय,  
निजामाबाद, आजमगढ़।

— ने — वाला पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

३८४

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हन से सम्बन्धित सभा कानूनों का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्रामूर्त धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 / सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निन को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा स.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 604

दिनांक: 29.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
महर्षि बाबा लोदी दास महाविद्यालय,  
खुरहट, मऊ।

विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय-  
संक्षेप

महादेव,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (ट्रिटीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है के क्रम में महर्षि बाबा लोदी दास महाविद्यालय, खुरहट, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, उर्दू भूगोल, एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्थीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/सापेक्षा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होना रा ताकि बता सका जाए।
  - महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ध प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समरत सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का एंजीकेशन कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**प्रतिलिपि:-** निज को सच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालाप-** निम्न पाठ सूचनाएँ ये जारी करते हुए दिए गए हैं।

  - निजी सचिव, कुलपति को मातृ कुलपति जी के सज्जानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कूलसचिव

कृलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/627  
दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कालेज,  
अलीनगर मुबारकपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीनगर मुबारकपुर, आजमगढ़ का स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अतिरिक्त विषय अर्बी में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राप्त धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को माठ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव



Scanned with OKEN Scanner

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./ सम्ब0/2023/617  
दिनांक: 28.06.2023

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय,  
अकबरपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-8-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मुनेश्वर देवनन्दन यादव महिला महाविद्यालय, अकबरपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय राजनीतिशास्त्र, उर्दू शारीरिक शिक्षा एवं विज्ञान संकाय में कम्प्यूटर साइंस विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से निम्नलिखित शर्तों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/सविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को

महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस

विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।

3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2

2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि

संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/

नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं

महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।

9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष

A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़



प्रेषक

कुलसंचिव  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।

पत्रांक: महा सूति वि. / सम्बो / 2023 / 60।

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
मिर्जा अहसानुल्लाह बेग निर्खाँ महिला महाविद्यालय,  
अन्जानशहीद, आजमगढ़।

— विद्या गंडपा के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

## विषय-

उपर्युक्त विप्रयक्त शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा ईकांक मत्र 2014-15 से महोदय,

उपर्युक्त विप्रयक्त शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा ईकांक मत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मिर्जा



**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रातालाकृ-** निजी कला यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए अधिकारी विषयों की सूची है।

  1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थी।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

१८

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि. / सन्व0/2023/639  
दिनांक: 20-06-2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
माँ मुराती बालिका महाविद्यालय,  
बलरामपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सहोत्र

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान संस्थानीयता राजा ५/१/११।
  - महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसंचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/ विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होंगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय  
कलसचिव

**मनिक्षिणी:**— चिन्ह को सच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालाप:-** निम्न का सूचनाव इस आपरेक्षा के लिए देता हुआ दिया गया है।

  1. निजी सचिव, कुलपति को मारो कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

४८

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/647  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अल परवेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज,  
अमिलो खास नगर पालिका मुबारकपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुष्टिमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में अल परवेज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, अमिलो खास नगर पालिका मुबारकपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान व भूगोल विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/628  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
पं० नगीना स्मारक महाविद्यालय,  
जोकहरा, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) /सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घास 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में पं० नगीना स्मारक महाविद्यालय, जोकहरा, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी०एस०सी० कृषि विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी चार वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर—2—2003—16(92) /2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 /70—2—2005—2(166) /2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 /सत्तर—2—2013—2(650) /2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 /2015 /450 /सत्तर—2015—16(33) /2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 /सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./राम्ब०/2023/616

दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
पं० पंचदेव उपाध्याय महाविद्यालय,  
भवतर चक भवतर गम्भीरपुर, लालगंज, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपरबन्ध को रामापात्र कर दिया है, के क्रम में पं० पंचदेव उपाध्याय महाविद्यालय, भवतर चक भवतर गम्भीरपुर, लालगंज, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषिद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के स्वरूप में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समरत सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, 'कुलपति' को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

VR  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब/2023/595  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,  
प्रबन्धक,  
राजदेव पानमती मल्ल महिला महाविद्यालय,  
मखदुमपुर, लालनपुर, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुके अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में राजदेव पानमती मल्ल महिला महाविद्यालय, मखदुमपुर, लालनपुर, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्रिंशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सम्ब0/2023/634  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
पार्वती महिला पी०जी० कालेज,  
दोहरीघाट, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान/वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम पार्वती महिला पी०जी० कालेज, दोहरीघाट, मऊ को स्वतितपेषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय में बी०क०५० एवं विज्ञान संकाय में माइक्रोबायोजी, कम्प्यूटर साइंस तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग, राजनीतिशास्त्र, मध्यकालीन इतिहास एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय 2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/सविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुरांगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 /70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष एस.इ.ए का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन०ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परासनातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैंक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मातृ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सन्धि/2023/625  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
फूलचन्द्र ग्रामीण महिला महाविद्यालय,  
नरहनखास, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम फूलचन्द्र ग्रामीण महिला पी०जी० कालेज, नरहनखास, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषिद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन०ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



प्रांक सदा स विवि / साल २०२३ / ५९६

दिनांक: 28-06-2023

सेवा में

प्रबन्धक

बाबू परमानन्द राय स्मारक महाविद्यालय,  
सेठवल, रानी की सराय, आजमगढ़।

विभिन्न रोगों का इलाज (विवर संक्षेप में) सभी रोगों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

## विषय-

महादय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (ट्रिनीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बाबू

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभा कामया द्वारा ले गया।
  - महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499/सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष

भवदीय

**परिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को माझे कुलपति जी के संज्ञानार्थी।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

१८

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.पि.वि. / राम्ब०/2023/590  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामबद्दन सिंह महिला महाविद्यालय,  
रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगरत 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में रामबद्दन सिंह महिला महाविद्यालय, रौनापार, कादीपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, उर्दू, झाइग एण्ड पैटिंग एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सर्व स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर—2—2003—16(92) /2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 /70—2—2005—2(166) /2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 /सत्तर—2—2013—2(650) /2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 /2015 /450 /सत्तर—2015—16(33) /2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 /सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

४५८

कुलसंघिय,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



प्रांक महाराष्ट्र / साप्तरी 2023 / 605

दिनांक: 28-06-2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
राजदेव कृषक महाविद्यालय,  
काशीपुर, सूराई, सठियोंव, आजमगढ़।

— ने — करना अंकुरों के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय-

महादय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा गैंधीजीक मत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा संख्या-14 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में राजदेव कृषक महाविद्यालय, काशीपुर, सुराई, सठियौंव, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनातार्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, उर्दू विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषट द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान से सम्बन्धित सभा कानून द्वारा महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिथति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवधित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुर्संगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी. दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 / 70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 / सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परासनातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की रिथति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिवधित रहेगा।

भवदीय

कृलसचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कलभूषित

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

**प्रेषक,**  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.स.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 606

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
रामधन दामोदर महाविद्यालय,  
कसारा, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
सहोटग

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षक सत्र 2014-15 में नवीन महाविद्यालयों/ पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के प्रत्यक्ष के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुसंति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में रामधन

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान से सम्बन्धित सभा कानून का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.डी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  11. एनओसी के क्रमांक 08 के क्रम में परानातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रारंभिक-** निजी कूलपति को मातृ कूलपति जी के संज्ञानार्थ।

  - निजी सचिव, कुलपति को मातृ कूलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सन्व0/2023/654  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सौई महाविद्यालय,  
छत्तरपुर, अहिरौली, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की द्वारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सौई महाविद्यालय, छत्तरपुर, अहिरौली, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद गणित विषयों/पाठ्यक्रमों के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिकीय सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अनिशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होंगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब० / 2023 / 615  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रामधारी स्मारक महाविद्यालय,  
मीरपुर गोधना, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपरबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में रामधारी स्मारक महाविद्यालय, मीरपुर गोधना, मऊ को स्वप्रित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, गणित व वनस्पति विज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिस्ते में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समर्थ—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 / 70—2—2005—2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 / 70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संरक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2—2013—2(650) / 2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 / 2015 / 450 / सत्तर—2015—16(33) / 2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समर्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 / सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीप

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब०/2023/63४  
दिनांक: २५.०६.२०२३

सेवा में,  
प्रबन्धक,  
रामसुन्दर पाण्डेय महाविद्यालय,  
गजियापुर, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम रामसुन्दर 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम रामसुन्दर 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त

माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 / 70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष 10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष
11. एन०ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को माऊ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि./सम्ब0/2023/599  
दिनांक: 20.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
संजय सुहेल विश्वविद्यालय,  
उदियावां, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में संजय महाविद्यालय, उदियावां, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की रिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुरांगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संरक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समर्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होंगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/657  
दिनांक: १०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सन शाइन गर्ल्स डिग्री कालेज,  
पांती जैगहा, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) /सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सन शाइन गर्ल्स डिग्री कालेज, पांती जैगहा, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शिक्षाशस्त्र, भूगोल व चित्रकला विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर—2—2003—16(92) /2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267 /70—2—2005—2(166) /2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 /सत्तर—2—2013—2(650) /2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12 /2015 /450 /सत्तर—2015—16(33) /2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499 /सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023/621  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
सन्तानूला छोटू यदुवंशीय महाविद्यालय,  
भेगवा, जलालपुर, सचुई, मऊ।

विज्ञान विद्यालय को सार्वक भूर्ग पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय—  
सहोदरा

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कामयों का महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष 1,12,515 रुपये की कमाई करके उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- प्रातिलिपि:-** निम्न का दूसरा पंक्ति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

  1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय

कुलसचिव

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सं.वि.वि. / सम्बो / 2023 / 633

दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
सर्वोदय महिला डिग्री कालेज,  
घोरठ, हरखंशपुर, आजमगढ़।

**विषय-** महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

- का सहष स्वाकृत प्रदान कर दो गया ह—

  - महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या—5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या—61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करें।
  - उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.डी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या—2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष
  - A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एनओसी के क्रमांक 08 के क्रम में प्रास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कूलसचिव

कृलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / राम्ब० / 2023 / 598

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सरस्वती शान्ती महाविद्यालय,  
रानीपुर रजमों, बिन्द्राबाजार, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सरस्वती शान्ती महाविद्यालय, रानीपुर रजमों, बिन्द्राबाजार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल व गृहविज्ञान विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्रिमान प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एनओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा सु.वि.वि / सम्ब०/2023/607

दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शारदा शान्ती महाविद्यालय,  
बनकटा (बसगित), आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन (अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शारदा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शारदा शान्ती महाविद्यालय, बनकटा (बसगित), आजमगढ़ को स्ववित्तपौष्टि योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, हिन्दी, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति राज्यपरिषद द्वारा "अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संख्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब० / 2023 / 646  
दिनांक: २०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शान्ती देवी महिला महाविद्यालय,  
भगवानपुर, मदियापार, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की द्वारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शान्ती देवी महिला महाविद्यालय, भगवानपुर, मदियापार, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी, समाजशास्त्र, व गृहविज्ञान में विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125 / 70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षांतर्गत प्राचार्य/प्रवक्ता को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर-2-2013-2(650) / 2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राचिधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी, जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16(33) / 2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामुख धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्रिमशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 / सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष कुलसचिव कार्यवाही को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मात्र कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/623  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शिव प्रशिक्षण संस्थान,  
जौगहों, शेखपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वनुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शिव प्रशिक्षण संस्थान, जौगहों, शेखपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अप्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मातृ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



Scanned with OKEN Scanner

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/635

दिनांक: २०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सर्वोदय पी0जी0 कालेज,  
घोसी, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सर्वोदय पी0जी0 कालेज, घोसी, मऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय शारीरिक शिक्षा में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय

कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

महाराजा सूहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023 / 610  
दिनांक: 29.06.2023

सेवा में

प्रबन्धक,  
श्री शारदा महाविद्यालय,  
खोरम्पुर, बेलऊ, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर रस्तर पर कृषि संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुके अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री

- प्रदान कर दा गया है—
  - महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/सविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान सम्बन्धित रहेगा।
  - महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - एनओसी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय  
कलासंचिव

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रातालाप-५ निम्नलिखित कुलपति को मारा गया था।

  - निजी सचिव, कुलपति को मारा गया था।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

१८३

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/630  
दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कालेज,  
मईखरगपुर, उबारपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कालेज, मईखरगपुर, उबारपुर, आजमगढ़ को स्वतितपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत—एम०का० पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हैः—

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
- शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
- उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
- शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- एन०ओ०सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छः माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- गिजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/648  
दिनांक: १०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
शिवशक्ति महिला महाविद्यालय,  
कमालपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की द्वारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की घारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में शिवशक्ति महिला महाविद्यालय, कमालपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, उर्दू, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व अंग्रेजी, समाजशास्त्र, उर्दू, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्धारित अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.वी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष कुलसचिव का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

A.I.S.H.E का पंजीकरण

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कुलसचिव

कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/622  
दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्याम करन स्मारक महाविद्यालय,  
सैफपुर उर्फ बाजनपुर, आजमगढ़।


विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्याम करन स्मारक पी०जी० कालेज, सैफपुर उर्फ बाजनपुर, आजमगढ़ को रूचितपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अनिश्चयन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/629

दिनांक: २०.०६.२०२३

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्यामसुन्दरी महिला महाविद्यालय,  
दुबारी (मोलनापुर), मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संस्थोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्यामसुन्दरी महिला महाविद्यालय, दुबारी (मोलनापुर), मऊ को स्वचित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर पर कला संकाय में हिन्दी, गृहविज्ञान, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुरक्षात दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0ओ0सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को मां कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
कुलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./सम्ब0/2023/631  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
सीताराम रामानन्द स्मारक महाविद्यालय,  
सर्वेदा, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर—6—2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014—15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तु के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुरानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम सीताराम रामानन्द स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सर्वेदा, आजमगढ़ को स्ववित्तप्रौष्ठित योजनार्थीत स्नातक स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र, भूगोल, हिन्दी विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन/दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर—2—2003—16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70—2—2005—2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70—2—2005—2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर—2—2013—2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश से वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर—2015—16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर—4—2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन0000सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेंगे अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, कुलपति को माठ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि./साम्ब/2023/602

दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्यामबिहारी लालचन्द्र महाविद्यालय,  
आजमपुर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला / विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगरत 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की पुरुनुमति दिये जाने के उपरन्थ को समाप्त कर दिया है, के क्रम में श्यामबिहारी लालचन्द्र महाविद्यालय, आजमपुर, आजमगढ़ को स्ववित्तपोषित योजनान्वार्ग स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, व गृहविज्ञान एवं विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित में विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद गणित में विषयों/पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के अधीन अरथात् सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है—

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/सविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय सीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्द्ध प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मार्ग कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव



Scanned with OKEN Scanner

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0 / 2023/641  
दिनांक: १०.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
सर्वोदय पी०जी० कालेज,  
घोसी, मऊ।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के कृषि पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
संघोटण

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/ पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय अधिनियम 1973 की धारा संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में सर्वोदय 01. पी0जी0 कालेज, घोसी, मऊ में स्वित्तपोषित योजनान्वर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय में बी0एस-सी कृषि पाठ्यक्रम में दिनांक 01. 07.2023 से आगामी चार वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-  
कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता का भज्ञमेटन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को

- महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान सम्बद्धता द्वारा सम्मिलित होना।
  - महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  - शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  - शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2- 2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  - रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522 /सत्तर-2-2013-2(650) /2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  - यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
  - महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  - शासन के पत्र संख्या-12 /2015 /450 /सत्तर-2015-16(33) /2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  - उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  - शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष ए.स.ए.स. का मंत्रीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**पतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रारंभालाप-** निम्न के सूचनाएँ उत्तर दें।

  - निजी सचिव, कुलपति को माझे कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
  - सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  - क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  - विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय  
कूलसचिव

१४

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.पि. / सम्ब0/2023/660  
दिनांक: २८.०६.२०२३

सेवा में

प्रबन्धक,  
स्वामी सहजाननद सरस्वती शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान,  
जिवली, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1103(1) / सत्तर-6-2014, दिनांक-01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा ईकांकिक सत्र 2014-15 से महोदय,

- का सहयोग पूर्ति प्रयोग कर रहा है।
  1. महाविद्यालय संर्दिन्मत विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त हान से सम्बन्धित रहेगा।  
महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
  2. शासनादेश संख्या-2851 /सत्तर-2-2003-16(92) /2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
  3. शासनादेश संख्या-5267 /70-2-2005-2(166) /2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या-5125 /70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  4. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  5. रिट याचिका संख्या-61859 /2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/ विश्वविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
  6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यावाही नियमानुसार की जायेगी।
  7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
  8. शासन के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
  9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
  10. शासन के पत्र संख्या-2499 /सत्तर-4-2022 दिनांक-02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A I S H E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

**पतिलिपि:-** निम्न को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञार्थ।
  2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
  3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
  5. विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

भवदीय



कूलसचिव

# महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

प्रेषक,

कुलसचिव,  
महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय,  
आजमगढ़।



पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब0/2023/608  
दिनांक: 28.06.2023

सेवा में,

प्रबन्धक,  
अलट्रा मार्डर्न गर्ल्स डिग्री कालेज,  
मैंहनगर, आजमगढ़।

विषय— महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1)/सत्तर-6-2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में अलट्रा मार्डर्न गर्ल्स डिग्री कालेज, मैंहनगर, आजमगढ़ को स्ववित्तपाणित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में अतिरिक्त विषय अंग्रेजी, भूगोल एवं विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2023 से आगामी दो वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं का अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र के प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय तीन माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. शासनादेश संख्या—2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2002 एवं शासनादेश संख्या—5125/70-2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संख्या विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संख्या/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859/2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संख्या द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संख्या को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499/सत्तर-4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. एन030सी के क्रमांक 08 के क्रम में परास्नातक पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय छ: माह की अवधि में नैक मूल्यांकन सम्पन्न करा लेगें अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव